

अधिसूचना

स्वा०-९/आ०-०१-१९/२०२५(स्वा०)/पटना, दिनांक

डा० प्रतिभा कुमारी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना के विरुद्ध सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक-५४८७ दिनांक-०९.०५.२०२५ द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने एवं भिन्न-भिन्न जिले एवं प्रखण्ड के ११ आवासित व्यक्ति को फरवरी २०२५ में अप्राधिकृत रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

२. विभागीय पत्रांक-११०२(९) दिनांक-०६.१०.२०२५ द्वारा डॉ० कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसकी प्रति सिविल सर्जन, पटना को तामिला कराने हेतु प्रेषित की गयी थी।

३. सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक-१३७४० दिनांक-०५.११.२०२५ एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना के पत्रांक-५४० दिनांक-१७.११.२०२५ द्वारा सूचित किया गया है कि डा० प्रतिभा कुमारी का दिनांक-२४.०५.२०२५ को आकस्मिक निधन हो गयी है।

४. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा० कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त सूचना की सम्यक् समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त डा० कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को सचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया है।

५. अतः डा० प्रतिभा कुमारी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना के विरुद्ध अप्राधिकृत रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के आरोप प्रकरण को सचिकास्त किया जाता है।

६. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापकः-९/आ०-०१-१९/२०२५(स्वा०) ३५२(९)...../पटना, दिनांक २५.०३.२६

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-स्व० डा० प्रतिभा कुमारी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना द्वारा सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी २, ३, ७, ८, १०, १७ एवं १८A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

३१/३/२०२६
सरकार के अवर सचिव।